2 जून / June 2023

प्रेस विज्ञप्ति
Press Release

सहारा इंडिया लाइफ इन्श्योरेंस कं. लि. (एसआईएलआईसी) को वर्ष 2004 में जीवन बीमा का व्यवसाय करने हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था। बीमाकर्ता के वित्तीय औचित्य और अभिशासन के पहलुओं से संबंधित कुछ गंभीर विषयों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने उक्त बीमाकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन हेतु, सन 2017 में एक प्रशासक नियुक्त किया था। बीमाकर्ता को नए व्यवसाय का जोखिम-अंकन करने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। तदुपरांत, बीमाकर्ता को विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अतिरिक्त निर्देश दिए गए थे।

अनेक अवसर एवं पर्याप्त समय प्रदान किए जाने के बावजूद, एसआईएलआईसी प्राधिकरण के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने एवं अपने पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाएँ हैं। इसके अलावा, एसआईएलआईसी के पॉलिसी आंकड़ों से पता चलता है कि, कंपनी का संविभाग अंतिम (रन-आफ़) प्रवृत्ति दर्शा रहा है। वित्तीय स्थिति ह्रासमान है जहाँ बढ़ती हुई हानियाँ और कुल प्रीमियम की तुलना में दावों का उच्चतर प्रतिशत इसकी पुष्टि करते हैं। यदि इस प्रवृत्ति को जारी रहने की अनुमति दी जाती है तो स्थिति बिगड़ जाएगी तथा पूँजी के ह्रास के लिए मार्ग प्रशस्त होगा और एसआईएलआईसी पालिसीधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में समर्थ नहीं हो सकती, जिससे उसके पालिसीधारकों का हित खतरे में पड़ जाएगा।

सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर समुचित विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने 2 जून 2023 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि एसआईएलआईसी के पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई आवश्यक है। तदनुसार, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52 बी की उप-धारा (2) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से एसआईएलआईसी के जीवन बीमा व्यवसाय को किसी अन्य उपयुक्त जीवन बीमाकर्ता को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।

प्राधिकरण ने एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) को, जो कि देश के सबसे बड़े जीवन बीमाकर्ताओं में से एक है, जिनकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक है, की पहचान एसआईएलआईसी के जीवन बीमा व्यवसाय को अधिगृहीत करने वाले बीमाकर्ता के तौर पर की है। एसबीआई लाइफ तत्काल प्रभाव से एसआईएलआईसी के लगभग दो लाख पॉलिसियों की देयताओं को, पॉलिसीधारकों की परिसम्पत्तियों के आधार पर, अधिग्रहण करेगी। आईआरडीएआई का उक्त आदेश दिनांकित 2 जून 2023, https://irdai.gov.in पर उपलब्ध है।

प्राधिकरण ने एसआईएलआईसी के सभी पॉलिसीधारकों के सुचारू पारगमन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ हैं। आदेश के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु एक समिति गठित की गई है, जिसमें सदस्य (बीमांकक), सदस्य (जीवन) एवं सदस्य (वित्त एवं निवेश) होंगे। एसबीआई लाइफ को निर्देशित किया गया है कि वे एसआईएलआईसी के पॉलिसीधारकों के प्रश्नों का समाधान करने हेतु एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना सहित पॉलिसियों को सेवा प्रदान करने के संबंध में एसआईएलआईसी के पॉलिसीधारकों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त कदम उठाएँ और उनकी वेबसाइट पर आवश्यक विवरण भी प्रकाशित करें।

प्राधिकरण परिस्थिति पर निगरानी करना जारी रखेगा तथा एसआईएलआईसी के पॉलिसीधारकों के हित में आवश्यकतानुसार आवश्यक निर्देश भी जारी करेगा।

Sahara India Life Insurance Co. Ltd (SILIC) was granted a Certificate of Registration in 2004 to transact the business of life insurance. In view of the certain serious issues on the financial propriety and governance aspects of the insurer, the Authority had appointed an Administrator to manage the business of the insurer in 2017. The insurer was also not allowed to underwrite new business. Thereafter, further directions were issued to the insurer to meet the regulatory requirements.

Despite being provided ample opportunities and sufficient time to ensure compliances, SILIC has failed to comply with directions of the Authority and take any affirmative steps to protect the interests of its policyholders. Further, the policy data of SILIC reveals that the company's portfolio is showing run-off trend. The financial position has been deteriorating with rising losses and higher percentage of claims to total premium. If the trend is allowed to continue, the situation will worsen and lead to erosion of capital and SILIC may not be able to discharge its liabilities towards policyholders, thereby endangering the interest of its policyholders.

After due consideration of all the facts and circumstances, the Authority in its meeting held on 2nd June 2023 decided that action is warranted to protect the interest of the policyholders of SILIC. Accordingly, in exercise of its powers under sub-section (2) of Section 52B of the Insurance Act, 1938, the Authority decided to transfer the life insurance business of SILIC to another suitable life insurer with immediate effect.

The Authority has identified SBI Life Insurance Company Limited (SBI Life), which is one of the largest life insurers in the country with satisfactory financials, as the acquirer insurer of the life insurance business of SILIC. SBI Life shall take over the policy liabilities of around two lakh policies of SILIC, backed by the policyholders' assets, with immediate effect. The IRDAI Order dated 2nd June 2023 is available at https://irdai.gov.in

The Authority has also taken necessary steps to ensure the smooth transition for all policyholders of SILIC. A committee comprising of Member (Actuary), Member (Life), and Member (F&I) has been constituted for implementation of the Order in a time-bound manner. SBI Life has been directed to take adequate steps to reach out to the policyholders of SILIC, with regard to servicing of policies, including setting up of a dedicated cell to address the queries of the policyholders of SILIC, and also publish necessary details on their website.

The Authority will continue to monitor the situation and also issue necessary directions as required in the interest of the policyholders of SILIC.

***